न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 57/2022

अर्जुन राम एवं अन्य

प्रति

राज्य

एफ0आई0आर0 नं0 52/2022

अ0धारा 365, 376(2)(n) ता0हि0 5l/6

पोक्सो अधि0 9,10 बाल विवाह प्रति0अधि0

चालानी थाना बागेश्वर।

28.10.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर मिश्रा द्वारा न्यायालय पेश। मुन्सरिम द्वारा दी गई आख्या का अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर किया जाय। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो को जमानत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रदान की गई। आदेश हुआ कि–

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर मिश्रा व अभियोजन की ओर से श्री गोविन्द बल्लभ उपाध्याय जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

3. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि वे बागेश्वर जनपद के स्थानीय निवासी हैं उन्हें दौरान् विवेचना भी निरूद्ध नहीं किया गया था और वे न्यायालय द्वारा समन भेजे जाने पर ही उपस्थित हो गये हैं, मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा विवेचना को प्रभावित किये जाने की सम्भावना नहीं है।

4. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्ता कलावती देवी व शोभा देवी महिलाएं हैं जबकि अभियुक्त फकीर राम 75 वर्षीय वृद्ध हैं और अभियुक्तगण के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 का अभियोग है जो दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल फिलहाल में कई मामलों में कहा जा चुका है कि ऐसे मामले, जो सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हैं, में अभियुक्त को गिरफतार न किया जाय और यदि उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है तो जमानत प्रदान करते समय उदार रूख अपनाया जाये।

5. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ***Siddharth Vs. State of Uttar Pradesh & Anr. Crl Appeal No. 838/2021 (Arising out of S.L.P. (Crl) No. 5442 of 2021, Satender kumar Antil Vs. C.B.I. & Anr Special leave petition (Crl) No. 5191 of 2021, Arnesh kumar Vs. State of Bihar S.L.P. (Crl) No. 9127 of 2013*** नामक नजीरें प्रस्तुत की गई है।

6. प्रत्युत्तर में अभियोजन की ओर से कहा गया कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग गैर जमानतीय है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

7. न्यायालय के मत में, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफतार नहीं किया गया था और वे न्यायालय द्वारा समन भेजे जाने पर ही आज न्यायालय में उपस्थित हो गये हैं। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण बागेश्वर जनपद के स्थानीय निवासी होना वर्णित है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 का अभियोग है, जो दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय है। मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है।

8. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वाद के गुण–दोष पर कोई मत प्रकट किये बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को वर्तमान मामले में जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

9. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण अर्जुन राम, फकीर राम, कलावती देवी एवं शोभा देवी का वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनुषंगिकतः प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अलग–अलग अंकन 30,000–30,000/(तीस–तीस हजार) रूपये के दो–दो जमानती एवं इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पेश करने पर उन्हे जमानत पर रिहा किया जाये।

10. जमानत प्रार्थना पत्र की वर्तमान् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–28–10–2022,

(शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश),
विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।